न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 106/2026 प्रार्थनापत्र

01. श्री दिलीप कुमार शाह पुत्र चान्दमल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कल्पेश शाह पुत्र चान्दमल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. चन्दा बेन शाह पत्नि चान्दमल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. वनिता पुत्री चान्दमल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–––– विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश सिंह तंवर
2. पेरोकार सरकार

–––अधिवक्ता प्रार्थी

––– उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक– 13.04.2026

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद करेडा पटवार हल्का करेडा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात के खाता सख्या 567के आराजी नम्बर 3828/1 कुल किता 01 रकबा 0.4679 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। यह कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी नम्बर 3828/1 रकबा 0.4679 हैक्टयर भूमि में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 4234 रकबा 0.1391 हैक्टयर बिलानाम भूमि पर से होकर प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता है। बिलानाम सरकार के आराजी नम्बर 4234 से 30 फीट चौडाई का रास्ते को राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षी को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने, संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद करेडा पटवार हल्का करेडा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात के खाता सख्या 567के आराजी नम्बर बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 4234 [illegible] मेड के सहारे–सहारे 9.144 मीटर (30फीट) चौडाई मे रकबा 0.0109 हैक्टयर भूमि से [illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आया जाया [illegible] सकता हैं इसके अलावा आराजी नम्बर 1200 [illegible] की भूमि पर [illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि (निकटतम आवेदित आराजी नम्बर 3828 [illegible] ग्राम करेडा की [illegible] आराजी नम्बर 4234 रकबा 0.1391 हैक्टयर किस्म [illegible] में से 30फीट चौडाई(9.144मीटर चौडाई) [illegible] 0109 हैक्टयर भूमि पर रास्ता उचित हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Gurjar
Date: 2026.05.04 18:35:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, प्रार्थी की आराजी नम्बर 3828/1 रकबा 0.4679 हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की बिलानाम आराजी नम्बर 4234 रकबा 0.1391 हैक्टयर मे से 30 फिट चौड़ाइ(9.144मीटर चौड़ाई) में रकबा 0.0109 हैक्टयर भूमि के रूप में रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद करेडा पटवार हल्का करेडा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि के खाता सख्या 567 के आराजी नम्बर 3828/1 कुल किता 01 रकबा 0.4679 हैक्टयर भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी सख्या 01 आराजी नम्बर 4234 रकबा 0.1391 हैक्टयर की पुर्वी मेड के सहारे सहारे 30 फिट चौड़ाइ (9.144मीटर चौड़ाई) में रकबा 0.0109 हैक्टयर में रास्ते के रूप मे काम आने वाला रकबा 0.0109 हैक्टयर भूमि रास्ता के रूप मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0109 हैक्टयर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति हेतु राजकोष मे जमा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 13.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Gurjar
Date: 2026.05.04 18:35:04 IST
Reason: SelfAttested

...के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 4234